राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन सामग्री परिषद्, बल्लभगढ़

<u>कार्यालय में राजभाषा नियम, अधिनियम एवं राजभाषा नीति का कार्यान्वयन विषय पर दिनांक 06 जुलाई 2023 को हिन्दी कार्यशाला का आयोजन</u>

राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन सामग्री परिषद् बल्लभगढ़ में दिनांक 06 जुलाई 2023 को हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने तथा राजभाषा संबंधी नियमों, अधिनियमों एवं राजभाषा नीति के अनुपालन हेतु एक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन कार्यालय में किया गया। इस कार्यशाला में कार्मिकों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया।

इस कार्यशाला की अध्यक्षता माननीय डॉ संजीव कुमार चतुर्वेदी, महानिदेशक (का.), एन.सी.बी. द्वारा की गई। कार्यशाला के लिए आमंत्रित वक्ताओं, डॉ निर्मल कुमार मंडल, प्रबंधक (राजभाषा) एवं श्री शैलेश कुमार सिंह, उपप्रबंधक (राजभाषा) नराकास, फ़रीदाबाद का स्वागत माननीय महानिदेशक (का.), एन.सी.बी. द्वारा किया गया।

इस कार्यशाला में नराकास, फ़रीदाबाद से आमंत्रित डॉ निर्मल कुमार मंडल, प्रबंधक (राजभाषा) द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रयोग की अनिवार्यता पर बल देते हुए बताया की 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया था। संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा तथ्यों और सर्वेक्षण के आधार पर दिया गया था। इस कार्यशाला में उन्होंने सभी प्रतिभागियों को राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेजों, राजभाषा नियम 1976 के नियम (1 से 12) की जानकारी देने के साथ-साथ राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय भारत सरकार, द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए सुझाव दिये तथा सभी उपस्थित प्रतिभागियों को कहा कि राजभाषा हिन्दी में कार्य करना हम सभी का दायित्व है। हमें अधिक से अधिक टिप्पण एवं प्रारूप लेखन हिन्दी में करना चाहिए और ई-मेल का अग्रेषण- पत्र भी हिन्दी में ही लिखना आरंभ करें, इससे हिन्दी के कार्यान्वयन में वृद्धि होगी।

इसके पश्चात श्री शैलेश कुमार सिंह, उपप्रबंधक (राजभाषा), ने अपने संबोधन में कहा कि हिन्दी का प्रशिक्षण कार्यक्रम तभी सफल होगा जब आप सभी प्रतिभागीगण अपने दैनिक कार्यालयीन गतिविधियों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाएगें।

यह कार्यशाला बहुत ही उपयोगी एवं उद्देश्यपूर्ण रही। अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यशाला सम्पन्न हुई।